कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधि कारी, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक–2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

क्रमांक/ /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

//आदेश//

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 की कंडिका–10 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला भोपाल लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त डीजल एवं पेट्रोल विक्रेताओ के प्रत्येक पम्प पर डीजल 3000 लीटर तथा पेट्रोल 1500 लीटर (out of Pump) का रिर्जव स्टॉफ प्रत्येक समय रखने का निर्देश देता हूॅ। रिर्जव स्टॉफ का विक्रय संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/अति तहसीलदार के निर्देशानुसार ही किया जावें।

यह आदेश दिनांक 10.03.2019 से मतगणना समाप्ति तक प्रभावशील होगा।

(डॉ. सुदाम खाडे)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला भोपाल

पृ. क्रमांक/ /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर भेजते हुए लेख है कि कृपया विज्ञप्ति प्रदेश स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
04. नोडल अधिकारी, कन्ट्रोल रूम की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. जिला नाजिर, कलेक्टोरेट भोपाल की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
07. जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला भोपाल।
08. पेट्रोल पम्प मेसर्स .... की ओर पालनार्थ। उक्त अवधि में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता क्षमतानुसार सुनिश्चित करें।
09. जिला जन सम्पर्क अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला सूचना अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक–2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

क्रमांक /   /भारत निर्वा. /2019   भोपाल दिनांक 10 / 03 / 2019

प्रति,

01. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
02. आयुक्त नगर निगम भोपाल
02. डीआरएम, हबीबगंज, भोपाल
03. महाप्रबंधक, बी.एच.ई.एल. भोपाल
04. महाप्रबंधक, दूर संचार विभाग, भोपाल
05. अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना (प्रशासन) बिट्ठल मार्केट, भोपाल
06. महाप्रबंधक, म.प्र. रोड़ डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल
07. क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल हाईवे प्राधिकरण ऑफ इण्डिया, भोपाल
08. अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश एम.पी.ई.व्ही.के.सी. समस्त
09. महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण विभाग, भोपाल
10. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भोपाल
11. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल
12. प्रबंधक सेतू निगम मध्यप्रदेश भोपाल
13. विभाग प्रमुख समस्त जिला भोपाल
14. समस्त जिला अधिकारी
15. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी
16. समस्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारी
17. महाप्रबंधक पोस्टल डिपार्टमेंट
    जिला भोपाल

विषय :– लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा होनें के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के तत्काल प्रभावशील होने पर तत्काल कार्यवाही करनें के संबंध में आयोग के निर्देश पालन सुनिश्चित करनें बावत्।

––00––

आपको ज्ञात होगा कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श संहिता प्रभावशील हो जाती है। अतः निर्वाचन आसन्न राज्यों के लिये आदर्श आचार संहित के प्रावधानों को प्रभावी रूप से पालन करनें हेतु आयोग निम्नानुसार निर्देश जारी करता हैः–

01. <u>सम्पत्ति विरूपण :–</u>

समपत्ति विरूपण के मामले में निम्नानुसार समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करे–

(अ) <u>शासकीय सम्पत्ति का विरूपण :–</u>

शासकीय सम्पत्ति के आशय शासकीय अहाते से है जिसमें शासकीय भवन एवं केम्पस निहित है। इन स्थानों पर समस्त राजनैतिक प्रकार के बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन, झण्डे, कटआउट, हौर्डिंग आदि को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टो के अवधि में हटाये जाना।

(ब) <u>शासकीय सम्पत्ति का विरूपण एवं सार्वजनिक स्थानों का दुरूपयोग :–</u>

सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन जैसे दिवार लेखन/पोस्टर/पेपर या अन्य रूप में विरूपण कर कटआउट्स/होर्डिंग, बैनर, बन्टिंग, फ्लेग आदि जो शासकीय भवनों अथवा स्थलों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयर पोर्ट, रेल्वे ब्रिज, रोड़वेज शासकीय बसों, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों, नगर पालिक/नगर परिषद के भवनों इत्यादि से आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से 48 घण्टे के भीतर हटाये जायेंगे।

(स) <u>निजि सम्पत्ति का विरूपण :–</u>

स्थानीय कानून एवं न्यायालय के किसी आदेश के अधीन रहते हुये निजि सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे में हटाये जायेंगे।

02. <u>शासकीय वाहनों के दुरूपयोग पर रोक :–</u>

(अ) **वाहन :–** परिवहन हेतु प्रयुक्त कोई भी वाहन जो यांत्रिकी उर्जा या अन्य किसी माध्यम से संचालित है उसे वाहन माना गया है इसमें ट्रक, लॉरीज, टेम्पों, जीप, कार, आटो, रिक्शा, ई–रिक्शा, बस आदि सम्मिलित है।

(ब) शासकीय :– केन्द्र या राज्य सरकार के या उनके उपक्रम, सार्वनिक उपक्रम, संयुक्त उपक्रम (केन्द्र या राज्य), स्थानीय निकाय, नगर पालिका, मार्केटिंग बोर्ड, को–ऑपरेटिव सोसायटी, अन्य कोई निकाय जिसमें चाहे शासन अंश भाग निहित हो आदि शासकीय कहलायेंगे।

ऐसे शासकीय वाहनों का उपयोग राजनैतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों या अन्य निर्वाचन से जुड़े व्यक्तियों (निर्वाचन संबंधी शासकीय अधिकारियों को छोड़कर) द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान प्रचार में उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

या निर्वाचन प्रचार उद्देश्य से यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा (आयोग द्वारा अपने निर्देशों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुये)।

03. <u>शासकीय खर्चो पर विज्ञापन :–</u>

शासकीय खर्चो पर प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जायेगा जिसमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों या उसकी सम्भावना को बढ़ावा देने के उद्देश पूर्ण हो।

यदि कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व कोई विज्ञापन जारी किया जा चुका है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उसे तत्काल रोक दिया जाये और उसे वापस लिया जाये।

अतः जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इस प्रकार के सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत करनें वाले विज्ञापनों पर त्वरित रोक/हटानें हेतु कार्यवाही करेंगे।

04. <u>शासकीय वेबसाईट पर राजैनिक व्यक्तियों के चित्र :–</u>

केन्द्र/राज्य की समस्त आफीषियल वेबसाईट से राजनेताओं, मंत्रियों आदि के चित्र हटाये जायेंगे। सीईओ तत्काल कार्यवाही करते हुये राज्य की समस्त शासकीय वेबसाईट से ऐसे चित्र हटवायेंगे।

05. <u>निर्माण एवं विकास संबंधी गतिविधियॉ :–</u>

घोषणा के 72 घण्टे में जिला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी निर्माण विभाग से निम्न जानकारी प्राप्त करेंगे :–

I. धरातल पर प्रारम्भ हो चुके कार्यो की सूची।

II. उन नवीन कार्यों की सूची जिनका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

06. <u>आदर्श आचार संहिता एवं व्यय निगरानी संबंधी गतिविधिया :–</u>

फ्लाइंग स्काड, व्ही.एस.टी. (विडियो निगरानी दल) शराब, कैश (नगद) एवं प्रतिबंधित दवाओं हेतु सघन चेकिंग के लिये संबंधित विभागों/टीमों को घोषणा के साथ ही सक्रिय हो जाएगा। ताकि आचार संहिता के उल्लंघन एवं अवैध शराब, कैश (नगद), सामग्री आदि के परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

07. <u>शिकायत निवारण प्रणालीः–</u>

सी–विजिल, 1950, टोल फ्री नम्बर समाधान के माध्यम से शिकायत निवारण संबंधी प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के भीतर 24×7 आधार पर काल सेन्टर सक्रिय किए जाएंगे।

सभी शिकायतों को प्राथमिकता के साथ जांच में लिया जाएगा एवं उनके संबंध में की गई कार्यवाही की ''कृत कार्यवाही रिपोर्ट'' **(ATR)** भेजी जाएगी।

अतः कंट्रोल रूम पर 8–8 घण्टे के आधार पर ड्यूटी रोस्टर तैयार कर कर्मचारी तैनात किऐ जाएंगे इन सेंटर पर एक कम्प्यूटर एक कम्प्यूटर आपरेटर, भृत्य आदि लगाए जाएंगे।

08. <u>**I T** एप्लीकेशनः–</u>

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी आयटी एप्लीकेशन यथा शासकीय वेबसाईट, सोषल मीडिया, आदि को सक्रिय किया जाएगा।

09. <u>मतदाता एवं राजनैतिक दलों की जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार :–</u>

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही मतदाताओं को मताधिकारी के नैतिकता पूर्ण उपयोग करने एवं राजनैतिक दलों के लिए एवं संभावित अभ्यर्थियों की जानकारी के आयोग के निर्देशों का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

10. <u>शैक्षणिक संस्थाओं एवं नागरिक समूहों की सक्रिय भागीदारी :–</u>

आम मतदाताओं के मध्य मतदान संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु इन संस्थाओं एवं समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जाए।

11. <u>मीडिया सेन्टर :–</u>

ई.व्ही.एम./व्ही.व्ही.पेट एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारियों को मतदाताओं, राजनैतिक दलों एवं अन्य हित धारकों के मध्य पर्याप्त, प्रचार–प्रसार करने एवं उनकी

जिज्ञासाओं का समाधान करने व किसी भी भ्रामक जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए मीडिया सेन्टर को सक्रिय जाया जाएगा ताकि जनता के मध्य सकारात्मक संदेश समय पर व प्रायागिक रूप से पहुंचे।

12. <u>एम.सी.एम.सी. एवं डी.ई.एम.सी. :–</u>

घोषणा के साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रमाणक हेतु जिला स्तरीय एम. सी.एम.सी. कमेटी को सक्रिय किया जाएगा इस हेतु समस्त प्रकार के उपकरण, मानव संसाधन आदि की उपलब्धता पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाए।

इनके साथ ही अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित रैली, सभा, जुलूस व अन्य प्रचार कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग हेतु डी.ई.एम.सी. के माध्यम से समस्त खर्च निगरानी टीमों को लाजिस्टिक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएगी।

अतः आयोग के निदेशों के पालन हेतु सभी का ध्यान आकर्षित किया जाता हैं। इनका निर्धारित समय सीमा में पालन सुनिश्चित करे।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/ /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त थाना प्रभारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त नोडल अधिकारी निर्वाचन जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला जन सम्पर्क अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 **Email address - deobhopal@gmail.com**

क्रमांक / /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

:: आदेश ::

लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, जिसके अनुसार राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 10/03/2019 से निर्वाचन समाप्ति तक के लिये आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।

अतः मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 एवं निर्वाचन आयोग के परिपालन में आम मतदाताओं के लिये यह आदेश जारी करता हूँ किः–

कोई भी व्यक्ति, जो किसी व्यापार, व्यवसाय, अद्योग अथवा संस्थान में रोजगाररत है, जो चाहे दैनिक/आकस्मिक कर्मी है, को मतदान दिवस के लिये मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार दिये गये अवकाश अवधि का वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा। यदि कोई कर्मचारी उक्त दिवस को अवैतनिक शर्तों पर रखा गया है, तो भी मतदान दिवस को उसे नियमानुसार देय होगा।

यदि को व्यवसाय स्वामी (नियोक्ता) उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्मानें के दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जे रूपये 500/– तक बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु यह ऐसे मतदाताओं पर लागू नहीं होगा, जिनकी कर्तव्य से अनुपस्थिति के कारण गंभीर क्षति होनें की संभावना हो। यदि कोई मतदाता अपनें विधानसभा क्षेत्र से बाहर रोजगाररत है, तो उनके लिये भी उक्त धारा के प्रावधान लागू होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(डॉ. सुदाम खाडे)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला भोपाल

पृ. क्रमांक / /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
05. नोडल अधिकारी, कन्ट्रोल रूम की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
06. सहायक श्रमायुक्त जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. जिला अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ।
08. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला सूचना अधिकारी, **NIC** जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 **Email address - deobhopal@gmail.com**

क्रमांक / /अजिद / 2019 भोपाल दिनांक 10 / 03 / 2019

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषण हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में अशांति फैलाने की नियत से कुछ असामाजिक तत्व भोपाल जिले में आवासीय क्षेत्रों, होटल एवं लॉज में रूककर किसी भी अपराध को अन्जाम दे सकते है एवं जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर सकते है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपराध एवं अपराधियों के षडयंत्र पर नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है।

अतः मैं, डॉ सुदाम खाडे, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मलिस्ट्रेट भोपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोपाल जिले में लोकसभा चुनाव समाप्ति तक निम्नानुसार आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करता हूँ :–

(01) कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर नहीं देंगे जब तक कि वे किरायेदार का विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।

(02) पूर्व से ही जो व्यक्ति किरायेदार या नौकर की हैसियत से रह रहे है, उन्हें तब तक आगे की अवधि के लिये किराये पर नहीं रखेंगे जब तक वे किरायेदार का विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नहीं दे देते।

(03) किरायेदार द्वारा जब मकान खाली किया जावेगा। उसकी सूचना संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा।

(04) होटल / लॉज में जो भी व्यक्ति रूकेगा, उसका सम्पूर्ण विवरण विर्धारित फार्म में रजिस्टर में दर्ज करना होगा एवं लॉज में रूकने एवं होटल छोड़ने की सूचना संबंधित थाने में देगा। यह जवाबदारी होटल / लॉज मालिक एवं संचालक की होगी।

(05) यह आदेश आम जनता को संबोधित है, चूँकि वर्तमान परिस्थितियों में इतना समय नहीं है कि, आम जनता पर इसकी सूचना तामीली से की जा सके। अतः यह आदेश अन्तर्गत धारा 144(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एंव एकपक्षीय पारित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश का उल्लघंन करनें पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 10 / 03 / 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से पारित किया जाता है।

(डॉ. सुदाम खाडे)
जिला मजिस्ट्रेट
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

पृ. क्रमांक/ /अजिद/2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज भोपाल की ओर सूचनार्थ।
04. उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन–1, 2, 3 एवं 4 की ओर सूचनार्थ।
07. समस्त एस.डी.एम./समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. उप संचालक, संभागीय जनसम्पर्क भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला सूचना अधिकारी, **NIC** जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 **Email address - deobhopal@gmail.com**

क्रमांक / /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

:: आदेश ::

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा दिनांक 09/03/2019 को की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय सांसद/राज्यसभा/विधायको के निज स्टाफ में संलग्न शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के तारतम्य में लिपकीय सेवा उपलब्ध करायी गयी थी, उनका संलग्नीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख उल्लेखित स्थान पर से उनकी सेवाए वापस ली जाकर निर्वाचन कार्य हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भोपाल के कार्यालय में संबद्ध किया जाता है :–

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	मूल विभाग का नाम	वर्तमान में संबद्ध कार्यालय का नाम	विवरण
1	2	3	4	5

यह आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

पृ. क्रमांक / /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय श्री .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. प्रभारी अधिकारी स्थापना कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।
06. संबंधित विभाग प्रमुख .... की ओर सूचनार्थ।
07. जिला जन सम्पर्क अधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ।
08. सर्व संबंधित श्री .... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति तत्काल जिला निर्वाचन शाखा में प्रस्तुत करें।
11. जिला सूचना अधिकारी, **NIC** जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

क्रमांक /   /अजिद/2019   भोपाल दिनांक 10/03/2019

:: आदेश ::

लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा भोपाल जिले में होनें वाले समस्त विधानसभा क्षेत्रों में दिनांक 10/03/2019 को मतदान तिथि घोषित की गई है।

लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो इस दौरान किसी किस्म की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो एवं चुनाव में किसी किस्म का व्यवधान न हो, इन सभी बातों को सुनिश्चित करनें के लिये यह आवश्यक है कि, ऐसे सभी राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ता (18 वर्ष से उपर) जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे तत्काल उस क्षेत्र से हट जायें।

अतः मैं, डॉ. सुदाम खाडे, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश देता हूँ कि, दिनांक09/03/2019 को सायंकाल 05:00 बजे के पश्चात् विधानसभा क्षेत्र मे से ऐसे राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ता (18 वर्ष से उपर) जो उस विधानसभा के मतदाता नहीं है, वे उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकेंगे।

ऐसे सभी राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ता (18 वर्ष से उपर) जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है उनसे अपेक्षा की जाती है वे तत्काल इस आदेश के प्रभावशील होते ही उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाये। यह आदेश दिनांक 10/03/2019 की सायंकाल 05:00 बजे से प्रभावशील होकर मतदान समाप्त होनें तक प्रभावशील रहेगा।

(डॉ. सुदाम खाडे)
जिला मजिस्ट्रेट
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

पृ. क्रमांक /   /अजिद/2019   भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज भोपाल की ओर सूचनार्थ।
04. उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन–1, 2, 3 एवं 4 की ओर सूचनार्थ।
07. समस्त एस.डी.एम./समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. उप संचालक, संभागीय जनसम्पर्क भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला सूचना अधिकारी, **NIC** जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 **Email address - deobhopal@gmail.com**

क्रमांक/ /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

:: आदेश ::

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा की जाने से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी उनके कार्यकर्ता और उनसे सहानुभूति रखनें वालो को सूचित किया जाता है कि, लोकसभा निर्वाचन 2019 में लाउड स्पीकर का प्रयोग निर्वाचन की घोषणा की तारीख से शुरू होनें से परिणाम की घोषणा की तारीख समाप्त होनें तक, को निर्वाचन अवधि के दौरान, निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य के लिये किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाये गये लाउड स्वीकर के प्रयोग की अनुमति निम्नानुसार रहेगी :–

किसी गतिमान लाउड स्पीकर का प्रयोग क्षेत्रों में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक तथा शहरी क्षेत्र में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के पश्चात् नहीं किया जावेगा और इसके अतिरिक्त :–

01. यदि किसी वार्सजनिक सभा या जुलूस के उद्देश्य से स्थिर लाउड स्पीकर प्रयोग यदि उक्त समय से परे किया जा है तो उसे संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से एवं एक से अधिक क्षेत्र की होनें पर संबंधित अतिरिक्त दण्डाधिकारी जिला भोपाल से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त की जाना होगी।
02. अनुमति देने वाले अधिकारी सार्वजनिक सभाओं/जुलूसो से लोक शांति और प्रशांति इससे कोई बाधा नहीं हो रही है और निश्चित समय इस हेतु सख्त रूप से निर्धारित करेगा, जिसमें लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति है और यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि, ऐसी शिकायत की कोई गुनलाईश न रहे कि ऐसी अनुमति देते समय किसी राजनैतिक दल या अथ्यर्थी के साथ पक्षपात किया गया है या किसी के विरूद्ध भेदभाव किया गया है।
03. सभी लाउड स्पीकर का प्रयोग चाहे वह सामान्य प्रचार या सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में हो और चाहे, यह चलती हुई गाडियों में या अन्यों में हो, केवल खण्ड (1) और (2) में उल्लेखित नियंत्रित घण्टों के दौरान ही प्रयोग किया जायेगा, उससे बाद कदापि नहीं।
04. उल्लेखित निर्धारित समय के बाद या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना लाउड स्पीकरों का प्रयोग करनें पर, लाउड स्पीकरों के साथ उससे संबंधित सभी उपकरणों को जप्त कर लिया जायेगा।
05. सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी और अन्य कोई व्यक्ति भी चलती हुई गाडियों में, जिसमें ट्रकों, टेम्पों, करों, टैक्सियों, वेनों, तिपहिया स्कूटरों, साईकल रिक्शे आदि शामिल है, लेकिन जो उन्ही तक सीमित नहीं है, में किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकरों का प्रयोग करते हुए उन गाडियों का रजिस्ट्रेशन/पहचान संबंधित विवरण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत आदेश पर भी दर्शाया जायेगा।
06. सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी और अन्य सभी व्यक्ति चलती गाड़ी में या किसी नियत स्थान पर किसी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग करनें के लिये संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित में अनुरोध करेंगे। गतिशील लाउड स्पीकरों के मामले में उन्हें वाहनों का रजिस्ट्रेशन, पहचान नम्बर सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों और स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास रजिस्टर करना होगा।
07. लाउड स्पीकरों का प्रयोग करनें के लिये परमिट स्वीकृत करना सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का दायित्व होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारीगण यह सख्ती से लागू करेंगे, जिससे उपर्युक्त किसी या उल्लंघन करते हुये कोई भी लाउड स्पीकरों का प्रयोग न करें। इसमें

किसी प्रकार का उल्लंघन आयोग गंभीरता से लेगा और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।

08. आयोग का उक्त निर्देश ध्वनि प्रदूषण और जनता की शांति और प्रशांति को भंग करनें पर नियंत्रण रखेगा, ऐसी स्थिति में इस ईमानदारी से लागू किया जावे। इस मामलें में किसी प्रकार के उल्लंघन होनें पर अनुसंधान अधिकारी उसे गंभीरता से लेगा और अपराधी/अधिकारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही करेगा।

09. उपरोक्तानुसार अनुमतियों के अधीन रहते हुये, म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 5(2) के अन्तर्गत।

(क) किसी मनोरंजन, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करनें के प्रयोजनों के लिये या किसी अन्य वाणिज्य आख्यापन के लिये चलाया या चलवाया नहीं जायेगा।

(ख) किसी खुले स्थान या लोक स्थान में रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत बजानें बजानें के लिये चलाया या चलवाया नहीं जायेगा।

(किसी चिकित्सालय, उपचर्या–गृह (नर्सिंग होम) दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्सचेंज) न्यायालय, शिक्षक संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जायेगा)।

10. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जनसभाओं/रैलियों इत्यादि के लिये अनुमति प्राप्त करनें के लिये प्रस्तुत आवेदन के साथ अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा अनुलग्नक–16 (निर्वाचन व्यय लेखा) में वांछित जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

अतः उपरोक्त निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी कड़ाई से पालन कराएंगे।

(डॉ. सुदाम खाडे)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

पृ. क्रमांक/ /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ। उक्त निर्देश के पालन हेतु अपनें अधिनस्थों को भी निर्देशित करनें का कष्ट करें।
04. पुलिस अधीक्षक समस्त .... की ओर सूचनार्थ।
05. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
06. जिला अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ।
07. नोडल अधिकारी निर्वाचन (समस्त) कन्ट्रोल रूम/जिला सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.)/आदर्श आचरण संहिता/व्यय अनुवीक्षण/शिकायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. जिला जनसम्पर्क अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत।
09. जिला सूचना अधिकारी, **NIC** जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 **Email address - deobhopal@gmail.com**

क्रमांक/ /अजिद/2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

भोपाल जिले में लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनैतिक गतिविधियॉ, जुलूस, प्रदर्शन, सभाऐं इत्यादि आरंभ हो चुकी है। इस चुनाव में राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आपसी प्रतिद्वंदिता को दृष्टिगत रखते हुये लोक शांति एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से भोपाल जिले के लोकसभा चुनाव समाप्त होनें तक चुनाव में असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों क रोकथाम हेतु साम्प्रदायिक, आपत्तिजनक नारे लगाने, आतिशबाजी एवं लाउडस्पीकर का उपयोग विनियमित करनें एवं अस्त्र–शस्त्र लेकर को प्रतिषिद्वि किया जाना आवश्यक है।

02/ चूँकि मुझे समाधान हो गया है कि, लोकसभा चुनाव समाप्त होनें तक लोग शांति एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र–शस्त्र लेकर चलनें एवं साम्प्रदायिक व आपत्तिजनक नारे लगानें, आतिशबाजी का उपयोग प्रतिषिद्ध करना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिषिद्ध करनें के लिये अविलम्ब कर निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, डॉ सुदाम खाडे, जिला मजिस्ट्रेट भोपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित प्रतिबंध लगाता हूॅ जो भोपाल शहर में लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।

01. यह कि कोई भी व्यक्ति भले ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी क्यों न हो सार्वजनिक स्थान पर अग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार जैसे धारिये, फरसे, तलवार एवं अतिघातक हथियार तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखेगा, न ही उन्हें लेकर चलेगा एवं न प्रदर्शित करेगा, परन्तु उपर्युक्त प्रतिबंध पुलिस लोक कर्तव्य निर्वहन में अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो, पर लागू नहीं होगा।

02. यह कि कोई भी व्यक्ति या समूह भोपाल जिले में राजनैतिक कार्यक्रमों तथा जुलूस रैली सभा आदि में आतिशबाजी तथा फटाके, बम आवाज करनें वाले विस्फोटक आदि वस्तुओं का उपयोग सार्वजनिक मार्ग/स्थानों पर बिना अनुमति नहीं करेगा इसमें बारात में चल समारोह में की जानें वाली आतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी।

03. यह कि इस अवधि के दौरान प्रचार–प्रसार हेतु कोई भी राजनैतिक दल/संस्था रैली में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करेगा ।

04. यह कि, इस अवधि के दौरान प्रचार प्रसार हेतु कोई भी राजनैतिक दल/संस्था रैली/ लाउड स्पीकर का विना अनुमति उपयोग नहीं करेगा। इस बिन्दु में बैण्ड में ठेला गाडी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित है।

05. यह कि, कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं न ही कोई पर्चा वितरण आदि करेगा जो आपत्तिजनक हो

और जिसमें किसी भी धार्मिक भावना ठेस पहुँचती हो तथा जिससे साम्प्रदायिक सौहार्य एवं शांति भंग हो सकती हो।

06. यह कि, किसी प्रकार की सभा रैली, जुलूस आदि सार्वजनिक तौर पर बिना अनुमति के नहीं किये जावेंगे। स्कूल, शासकीय कार्यालय परिसरों/रेस्ट हाउस में सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

चूँकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि, जन सामान्य पर उक्त सूचना की व्यक्तिशः तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।

आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(5) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध निर्वाचन एवं निधि व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।

यह जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी कि, इस आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करावें।

यह ओदश आज दिनांक 10/03/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ. सुदाम खाडे)
जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल

पृ. क्रमांक/ /अजिद/2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज भोपाल की ओर सूचनार्थ।
04. उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन–1, 2, 3 एवं 4 की ओर सूचनार्थ।
07. समस्त एस.डी.एम./समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. उप संचालक, संभागीय जनसम्पर्क भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहांगीराबाद भोपाल की ओर 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ।
12. जिला सूचना अधिकारी, **NIC** जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

क्रमांक /   /भारत निर्वा./2019   भोपाल दिनांक   09/03/2019

:: आदेश ::

लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, जिसके अनुसार राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 10.03.2019 से निर्वाचन समाप्ति तक के लिये आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।

अतः मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपालन में आम मतदाताओं के लिये यह आदेश जारी करता हूँ कि :–

कोई भी व्यक्ति, जो किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा संस्थान में रोजगाररत है, जो चाहे दैनिक/आकस्मिक कर्मी है, को मतदान दिवस के लिये मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार दिये गये अवकाश अवधि का वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा। यदि कोई कर्मचारी उक्त दिवस को अवैतनिक शर्तों पर रखा गया है, तो भी मतदान दिवस को उसे नियमानुसार देय होगा।

यदि कोई व्यवसाय स्वामी (नियोक्ता) उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो रूपये 500/– तक बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु यह ऐसे मतदाताओं पर लागू नहीं होगा, जिनकी कर्तव्य से अनुपस्थिति के कारण गंभीर क्षति होने की संभावना हो। यदि कोई मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर रोजगाररत है, तो उनके लिये भी उक्त धारा के प्रावधान लागू होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(डॉ. सुदाम खाडे)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला भोपाल

पृष्ठां क्रं./   /भारत निर्वा./2019   भोपाल दिनांक   10/03/2019

प्रतिलिपिः–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. सहायक श्रमायुक्त जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. जिला अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ।
08. जिला जनसम्पर्क अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 **Email address - deobhopal@gmail.com**

क्रमांक/ /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रति,

समस्त जिला अधिकारी
जिला भोपाल

विषयः– आदर्श आचरण संहिता लागू होनें के उपरांत जिले स्तर से की जानें वाली कार्यवाही एवं आदर्श आचरण संहिता के पालन बावत्।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आज दिनांक 10.03.2019 को सायं 5.00 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होनें से यह निर्देशित किया जाता है कि, आपके विभाग से संबंधित **सभी निर्माण कार्यों की सूची जो शुरू हो चुके है एवं प्रगतिरत है** दिनांक 12.03.2019 तक अनिवार्यतः जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त जिले की किसी वेबसाईट/एप्प पर किसी राजनैतिक व्यक्ति का फोटो हो तो उसे तत्काल हटाया जाये, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का पालन किया जाये, विस्तृत आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों से दिनांक 04.03.2019 को समस्त जिला अधिकारियों की बैठक में अवगत कराया जा चुका है। अतएव आप अपने अधिनस्थ कार्यालय एवं फील्ड स्टाफ को आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों से अवगत करावें एवं पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला भोपाल

पृष्ठां क्रं./ /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपिः–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम/जिला सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.)/आई.टी. टीम/सम्पत्ति विरूपण/आदर्श आचरण संहिता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
03. जिला जनसम्पर्क अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. जिला सूचना अधिकारी, **NIC** जिला भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 **Email address - deobhopal@gmail.com**

क्रमांक / /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रति,

नोडल अधिकारी
कन्ट्रोल रूम/कम्प्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम
/व्यय अनुवीक्षण/आदर्श आचरण संहिता
जिला भोपाल

विषयः– आदर्श आचरण संहिता लागू होनें के उपरांत जिले स्तर से की जानें वाली कार्यवाही एवं आदर्श आचरण संहिता के पालन बावत्।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आज दिनांक 09.03.2019 को सायं 5.00 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होनें से निम्नानुसार कार्यवाही समयसीमा में किया जाना सुनिश्चित करेंगे :–

क्रं.	समयसीमा	एक्टीविटि	एक्शन	नोडल
1	2	3	4	5
01.	दिनांक 10.03.2019 आज ही तत्काल	आई.टी. एप्लिकेशन	ई.सी.आई. के समस्त एप्प का संचालन एवं मॉनिटरिंग	शिकायत एवं आई.टी. टीम एवं एम.सी.एम.सी.
02.	दिनांक 10.03.2019 आज ही तत्काल	कन्ट्रोल रूम	1. 8–8 घण्टे के मान से दलों की पावंदी 2. सी–विजिल के District Controller web version हेतु पर्याप्त संख्या में अमले की तैनाती एवं कार्यवाही।	शिकायत एवं कन्ट्रोल रूम
03.	दिनांक 10.03.2019 आज ही तत्काल	कम्प्लेंट मॉनिटिंग सिस्टम	1. एन.एस.जी. पोर्टल, प्रेक्षक, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, ई.सी.आई. आदि स्त्रोतो से प्राप्त शिकायतों के निरारकण हेतु मॉनिटरिंग 2. जिला कॉल सेंटर का 24X7 संचालन	शिकायत एवं कन्ट्रोल रूम
04.	दिनांक 10.03.2019 आज ही तत्काल	व्यय अनुवीक्षण मॉनीटरिंग एवं आदर्श आचरण संहिता का क्रियान्वयन	एफ.एस.टी./एस.एस.टी. इत्यादि की 24X7 मॉनिटरिंग	व्यय अनुवीक्षण एवं एम.सी.एम.सी.
05.	दिनांक 10.03.2019 एक दिवस	एम.सी.एम.सी./डी.ई.एम.सी.	बैठक आयोजित करना	एम.सी.एम.सी./जिला स्तरीय व्यय अनुवीक्षण समिति
06.	दिनांक	सार्वजनिक एवं	ई.सी.आई. के निर्देशानुसार एवं सम्पत्ति	सम्मपत्ति

	10.03.2019 एक दिवस	निजि सम्पत्ति विरूपण	विरूपण निवारण अधिनियम के तहत	विरूपण / सहायक रिटर्निंग अधिकारी

क्रं.	समयसीमा	एक्टीविटि	एक्शन	नोडल
1	2	3	4	5
07.	दिनांक 10.03.2019 आज ही तत्काल	Photograph of political functionary at official website	यदि जिले के किसी वेबसाईट / एप्प पर किसी राजनैतिक व्यक्ति का फोटो हो तो तत्काल हटाना	जिला सूचना अधिकारी (NIC)

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला भोपाल

पृष्ठां क्रं. / /भारत निर्वा. / 2019 भोपाल दिनांक 10 / 03 / 2019

प्रतिलिपिः–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. उप पुलिस अधीक्षक रेंज भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. जिला जन सम्पर्क अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. नोडल अधिकारी, शिकायत / आई.टी. टीम. / कन्ट्रोल रूम / व्यय अनुवीक्षण / एम.सी.एम.सी. / सम्पत्ति विरूपण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. जिला सूचना अधिकारी (NIC) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. जिला जनसम्पर्क अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक–2730395 **Email address - deobhopal@gmail.com**

क्रमांक/ /भारत निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10.03.2019

//वाहन अधिग्रहण आदेश//

लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 10.03.2019 को आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने से कॉलम नम्बर 02 में अंकित पदाधिकारियों के उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 03 में अंकित वाहन, मय वाहन चालक के फुलटैंक ,स्टेपनी एवं टूल बॉक्स सहित अधिग्रहित किया जाता हैः–

स.क्र	नाम अधिकारी एवं पदनाम	वाहन क्रमांक

उक्त अधिग्रहित वाहन आज साय 5:30 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

डॉ. सुदाम खाडे
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

पृ. क्रमांक/ /भारत निर्वा./2019 दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर भेजते हुए लेख है कि कृपया विज्ञप्ति प्रदेश स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
03. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
04. उप पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. कलेक्टर.............................समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
06. अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया, गोविन्दपुरा, बैरागढ़, हुजूर, टी.टी. नगर, एम.पी. नगर एवं शहर भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि, उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन अपनें कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जानें हेतु।
07. जिला निर्वाचन कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
08. जिला नाजिर, कलेक्टोरेट भोपाल की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला– भोपाल

दूरभाष क्रमांक– 2730395 **Email address deobhopal@gmail.com**

क्रमांक / /वि.स.नि. /2019 भोपाल, दिनांक 10 / 03 / 2019

/ /आदेश / /

आगामी लोकसभा चुनाव–2019 से संबंधित कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के किसी भी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। समस्त प्रकार के अवकाश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल की अनुमति से ही निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक स्वीकृत किये जावेगें।

समस्त अधिकारी / कर्मचारी अपने–अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे तथा सार्वजनिक अवकाशों में भी उनके कार्यालय खुले रहेगें। यदि शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर जाना है तो उसकी अनुमति भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से प्राप्त करेंगे।

ऐसे कर्मचारी जो निर्वाचन आचार संहिता प्रारंभ होने के पूर्व ही अवकाश पर है उनके अवकाश प्रकरण जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं जो कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर है उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति उपरांत की मान्य किये जावेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
भोपाल

पृ.क्रमांक / /वि.स.नि. /2019 भोपाल, दिनांक10 / 03 / 2019

प्रतिलिपिः–

01. समस्त जिला एवं कार्यालय प्रमुख, जिला भोपाल।
02. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. आयुक्त नगर निगम भोपाल।
04. प्रभारी अधिकारी,समस्त,कलेक्ट्रेट, जिला भोपाल।
05. समस्त अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जिला भोपाल।
06. समस्त तहसीलदार, जिला भोपाल।
07. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला भोपाल।
08. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला भोपाल।
09. नोडल अधिकारी, मानव क्षमता, प्रशिक्षण, कन्ट्रोल रूम जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. डीआईओ एनआईसी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला जन संपर्क अधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सिविल सर्जन भोपाल, जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
भोपाल

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष क्रं. 2730395 Email addres- deobhopal@gmail.com

क्रमांक /   /लाय./लो.स.निर्वा./2019   भोपाल ,दिनांक   10/03/2019

—:: आदेश ::—

(अन्तर्गत धारा 17(3) शस्त्र अधिनियम 1959)

लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा हो चुकी है। इस दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु दिनांक 05.03.2019 को आयोजित स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार यह आवश्यक है कि, जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये जाये तथा शस्त्र लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न होने तक जमा कराये जायें। चूंकि परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि, अनुज्ञप्तिधारियों को व्यक्तिशः सुना जाये, आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है। समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों (इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि) से आदेश की तामीली सभी अनुज्ञप्तिधारियों पर कराई जा रही है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में, मैं डॉ. सुदाम खाडे जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोपाल जिले के अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र निलंबन के संबंध में निम्न आदेश पारित करता हूँ :—

1— समस्त केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारियों/बैंक गार्डो एवं स्पोर्ट श्रेणी हेतु स्वीकृत अनुज्ञ.. .... तक निलंबित किये जाते है एवं तद्नुसार समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

2— ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनको किसी विशेष व्यक्ति से जानमाल का खतरा बना रहता है तथा जिनके लिये शस्त्र रखे जाना आवश्यक है द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा विचार किया जावेगा।

3— अनुज्ञप्तिधारी के लिये शस्त्र थाने में ही जमा कराना अनिवार्य नही होगा। अनुज्ञप्तिधारी संबंधित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है तो जमा करने की रसीद की फोटो कापी संबंधित थाने में जमा करेगें। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देगें। शस्त्र तत्काल प्रभाव आवश्यक रूप से जमा कराये जावे। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को विधिवत् उचित प्राप्ति रसीद दी जावे।

4— थाना प्रभारी/शस्त्र डीलर उनके द्वारा जमा किए गए हथियार सुरक्षित अभिरक्षा रखना सुनिश्चित करेंगें। लोकसभा निर्वाचन 2019 के परिणामों की घोषणा के उपरान्त दिनांक 25.05.2019 के पश्चात् समस्त शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये वापस किये जावे ।

आदेश आज दिनांक 10.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

कलेक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला—भोपाल

पृ. क्रमांक/ /लाय./लो.स.निर्वा./2019 भोपाल ,दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त ,भोपाल संभाग, भोपाल की ओर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल शहर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आदेश के अनुक्रमांक–1 में उल्लेखित अनुज्ञप्तिधारियों में से यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी का किन्ही कारणों से शस्त्र जमा कराना आवश्यक हो तो इस संबंध में रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भेजी जावे ताकि तदनुसार आदेश पारित किया जा सकें ।
5. अपर संचालक, जन सम्पर्क विभाग भोपाल की ओर भेजकर निर्देश दिये जाते है कि आदेश का समाचार पचों में प्रकाशन करवायें ।
6. अति. पुलिस अधीक्षक, (समस्त)................................ भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी हुजूर/बैरसिया जिला भोपाल।
8. सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नगर (समस्त) .... भोपाल।
9. नगर पुलिस अधीक्षक, (समस्त).. भोपाल।
10. संबंधित थाना प्रभारी .... भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि, कृपया जमा कराये जाने वाले शस्त्रों का पृथक से रिकार्ड रखें तथा उन्हें सुरक्षित रूप से अभिरक्षा में रखें। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र दिनांक .... के पश्चात् बिना किसी आदेश की प्रतिक्षा किये वापिस कर दिये जावे ।
11. डीआईओ एनआईसी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला–भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

क्रमांक/ /लो.सभा.निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

//आदेश//

निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलो एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय /अषासकीय भवनों पर नारें लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभो पर चुनाव–प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है जिसके कारण षासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जात है । इस संबंध में शासन द्वारा मध्य प्रदेष संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि **''कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खाड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिहिंत करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो 1000 रूपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा''।**

2/ इस अधिनियम के अधीन दंडनीय काई भी अपराध संज्ञेय होगा।

3/ मध्य प्रदेष संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 मे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह आदेष दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अषासकीय भवन की दीवालो पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर झंडियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बेनर लगाकर षासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एंव पोस्टर एवं बेनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारें मिटाने के लिये जिले के प्रत्येक थाने में ''लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता'' तैनात रहेगा। इस दस्तें में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता टीआई/थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिष्चित करने के लिये संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस), मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय का एक कर्मचारी होगा। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये जिस पर ''लोक संपत्ति सुरक्ष दस्ता'' का बेनर लगा रहेगा। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालय प्रमुख का दायित्व होगा की उनके क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अवस्थित भवनों पर संपत्ति विरूपण न हो यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टीआई/थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुये संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।

4/ यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजि संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजि संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जॉच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।

5/ यदि किसी राजनैतिक दल अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो संपत्ति के स्वामित्व वाला विभाग के स्थानीय मुख्य अधिकारी इसकी तत्काल विडियोग्राफी कराकर संबंधित विरूपणकर्ता के विरूद्ध निकटतम थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगें।

6/ थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त षिकायतो को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा षिकायत की जॉच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित करेंगे।
7/ थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजेंगे।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल

पृ.क्रमांक/ /लो.सभा.निर्वा./2019 भोपाल दिनांक 10/03/2019

प्रतिलिपिः–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेष भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया लायसेंसधारियों के शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराना सुनिष्चित करें। (थाना प्रभारियों को आदेष की 13 प्रतियॉ वितरण हेतु संलग्न है।)
05. आयुक्त, नगर निगम भोपाल।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. डीआरएम, हबीबगंज भोपाल।
08. महाप्रंबधक, बीएचईल भोपाल।
09. महाप्रंबधक, दुरसंचार विभाग भोपाल।
10. अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रषासन भोपाल।
11. महाप्रबंधक म0प्र0 रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेषन भोपाल।
12. क्षेत्रीय प्रबंधक, नेषनल हाईवे प्राधिकरण ऑफ इण्डिया भोपाल।
13. अधीक्षण यंत्री म0प्र0 एमपीईव्ही केसी समस्त
14. महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना समस्त ।
15. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भोपाल।
16. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल।
17. प्रबंधक सेतु निग मध्यप्रदेष भोपाल।
18. समस्त कार्यालय प्रमुख जिला भोपाल।
19. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी साउथ/नार्थ भोपाल उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भोपाल।
20. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (समस्त) जिला भोपाल।
21. समस्त नगर पुलिस अधीक्षक .... जिला भोपाल।
22. तहसीलदार समस्त जिला भोपाल।
23. सहायक संचालक जनसम्पर्क भोपाल।
24. डीईओ एनआईसी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवष्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–भोपाल